सार-समाचार

राशन डीलरों की हड़ताल जारी

बीदासर, (निसं)। राजस्थान राज्य राशन संघर्ष समिति बीदासर के बैनर तले राशन डीलरों की हड़ताल सोमवार को चौथे दिन जारी रही। जिससे जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री नही मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों के चक्कर काट कर बिना राशन ही लोटना पड़ रहा है। संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को तहसील क्षेत्र के राशन डीलरों ने उपखंड कार्यालय पर हाथों में तखतीयां लेकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम सुमन शर्मा को सौंप कर राशन डीलरों की चार सूत्री मांगो की समस्या का समाधान करने की मांग की है। समिति द्वारा दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि राजस्थान की उचित मूल्य दुकानदार 1 अगस्त से अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे है। राशन डीलरों की मांग पर सरकार और प्रशासन द्वारा सहानुभूति पूर्वक कोई विचार नही किया गया है, एवं इसके विपरीत प्रशासन द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों के स्थान पर जीएसएस एवं अन्य संगठनों के द्वारा राशन वितरण करने के आदेश जारी किए गए है। उक्त आदेश के चलते हमारे एक उचित मूल्य दुकानदार रामेश्वर मीणा को सदमा लगने से हृदय घात होने से निधन हो गया है। समिति ने चार सूत्री मांगो के अलावा हृदय घात से हुई राशन डीलर की मृत्यु के परिवार को 50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग ज्ञापन में की है। ज्ञापन देने वालों में समिति के तहसील अध्यक्ष मनोज चौधरी, कोषाध्यक्ष कैलाश राठौड़, सचिव मनीराम मेघवाल, प्रमोद जोशी, भानीराम मेघवाल, जमील तेली, परमेश्वर लाल बोहरा, मनीराम बैरासर, नेतराम मेघवाल, मुनि नाथ दुंकर, पन्ना लाल बैनाथा उपस्थित थे।

महिला की चेन तोड़कर भागे बदमाश

झुंझुनूं, (निसं)।जिले में लगातार चैन स्नेचिंग की वारदातों से महिलाओं में दहशत की स्थिति है। दो दिन पहले चिड़ावा में भरे बाजार में बदमाशों ने एक महिला की चैन स्नेचिंग की थी। अब ताजा मामला झुंझुनूं शहर का सामने आया है। जहां पर बाइक सवार दो बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में चलती स्कूटी पर से एक महिला की चैन तोड़ ली और भाग गए। जानकारी के मुताबिक शहर की कामिनी गुप्ता अपनी बेटी को लेकर घर जा रही थी। इसी दौरान कमल हाइट्स गाडिया भवन के पास पीछे एक बाइक आई। जिस पर दो युवक बैठे थे। इनमें से एक ने कामिनी गुप्ता के गले की चैन पर हाथ मारा और उसे तोड़कर भाग गए। हड़बड़ाई कामिनी गुप्ता ने जेके मोदी स्कूल तक दोनों बदमाशों का स्कूटी से ही पीछा भी किया। लेकिन दोनों बदमाश बाइक पर थे। जो भागने में कामयाब हो गए। इस चैन स्नेचिंग की सूचना कोतवाली को दी गई। कोतवाली पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले है। जिनमें दो बाइकर्स एक बिना नंबर की बाइक पर दिखाई दे रहे है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तोड़ी गई चैन की कीमत डेढ से दो लाख रूपए के बीच बताई जा रही है। राखी के त्यौहार को देखते हुए बाजारों में वैसे भी महिलाओं का आना जाना हो रहा है। ऐसे में चैन स्नेचिंग की वारदातों के बाद महिलाओं में दहशत की स्थिति है। बहरहाल, पुलिस ने अज्ञात चैन स्नेचरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

गोशाला का किया निरीक्षण

पाटन, (निसं)। पशुपालन विभाग के जिला उपनिदेशक डॉ रणजीत मेहरानिया ने नीमकाथाना ब्लॉक की श्री गोपाल कृष्ण गोशाला सिरोही का निरीक्षण किया, जिसके तहत गोवंश के स्वास्थ्य एवं रखाव को देखा एवं रिकॉर्ड की भी जांच की । जिला उपनिदेशक ने गोवंश के बेहतर स्वास्थ्य, रख रखाव एवं गोशाला की साफ सफाई को देखकर गोशाला अध्यक्ष जयदयाल शर्मा को धन्यवाद दिया और इस वर्ष में सरकार द्वारा देय गोशाला अनुदान लेने हेतु भी प्रेरित किया तथा गोशाला को जमीन आवंटन हेतु भी सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाया । ताकि राजकीय भूमि व अनुदान राशि से गोशाला की व्यवस्था को सुदृढ किया जा सके । इस दौरान गोशाला अध्यक्ष को गोवंश के अनुपात में विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्यों के अनुसार सौ पौधे लगाने हेतु भी निर्देशित किया । गोशाला परिसर में पूर्व से लगाए गए बरगद व पीपल के पंद्रह पेड़ो का रख रखाव व बचाव की शानदार व्यवस्था से भी डॉ. मेहरानिया प्रभावित हुए और गोशाला को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया ।

कावड़ यात्रियों का स्वागत

सीकर, (निसं)। गोपीनाथ गौ सेवा समिति के सदस्यों द्वारा तीर्थराज लोहार्गल से बाबा बलजति आश्रम तिरडोकी बड़ी के लिए महंत श्री महावीर जति महाराज से महा कावड यात्रा प्रारंभ होकर सीकर पहुंची गोपीनाथ गौ सेवा समिति के अध्यक्ष शैलेष जैन ने बताया कि इसमें भक्त तेजपाल सिंह द्धारा 111 लीटर की कावड़,नरेश सिंह द्धारा 61 लीटर की कावड व दीपेंद्र सिंह द्धारा 51 लीटर की कावड साथ में सेवक रूपेंद्र सिंह, मोहन सिंह, पार्वती सिंह, संदीप सिंह, लाल सिंह यात्रा कर रहें है गोपीनाथ गौ सेवा समिति के सदस्य श्रवण शर्मा, मानव स्वामी, परमेश्वर, विष्णु लोहिया सभी के द्वारा पूज्य कावड़ यात्रा का स्वागत किया गया।

जरूरतमंदों को भोजन सामग्री बांटी

गुढ़ागौड़जी, (निसं)। सामाजिक संगठन लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की स्थानीय शाखा ने सोमवार को जरूरतमंद परिवारों में भोजन के पैकेट वितरित किए। ट्रस्ट सहप्रभारी तनू सांखला ने बताया कि झुंझुनूं रोड स्थित झुग्गी बस्तियों में ट्रस्ट द्वारा 130 भोजन के पैकेट वितरित किए गए। उल्लेखनीय हैं कि सामाजिक संगठन लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से तीन दिवसीय निशुल्क भोजन वितरण का कार्य संपूर्ण शेखावाटी में चलाया जा रहा हैं। इस कार्य के दौरान ट्रस्ट प्रभारी दिनेश सांखला, उपाध्यक्ष हरिराम सैन, बलवीर मांठ आदि मौजूद रहे।

सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे

चूरू, (कासं.)। वाल्मीकि संघर्ष समिति चूरू एवं सफाई कर्मचारियों द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा सफाई भर्ती 2023 में शत प्रतिशत सफाई कामगार समाज वाल्मीकि को प्राथमिकता देने की मांग की है। इसके अलावा समिति की ओर से 12 सूत्री मांगों को लेकर आज शीतला चौक से सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई।

शिक्षक पर हमले के मामले में तीन आरोपियों को दबोचा

सादुलपुर, (निसं)। घर से स्कूल जा रहे शिक्षक पर हुए जानलेवा हमला करने के मामले में हमीरवास पुलिस ने इनामी तथा टॉप टेन सहित वांछित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक गिरफ्तार आरोपी हरियाणा के सिवानी पुलिस थाने का एच.एस. तथा हार्डकोर आरोपी है तथा आरोपी पर विभिन्न धाराओं में 21 मामले दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू ने आरोपी पर ०2 हजार का इनाम भी घोषित किया था।

- स्कूल जा रहे शिक्षक पर सरियों और लोहे की रॉड से किया था हमला
- जिला पुलिस अधीक्षक चूरु की ओर से दो हजार का इनाम था घोषित

शिक्षक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी मदलाल बिश्नोई ने बताया कि घटना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल तथा आईपीएस प्रशांत किरण के सुपरविजन में पुलिस ने आरोपियों की धरपकड हेतु विशेष टीम का गठन किया तथा आरोपियों की तलाश के लिए हर संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। प्रकरण में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। तथा घटना से सम्बन्धी सूचना इकट्ठी की गई तथा प्रकरण में वांछित आरोपी आजाद सिंह जाति जाट (32) निवासी नलोई पुलिस थाना सिवानी जिला भिवानी हरियाणा तथा बलजिंदर सिंह उर्फ कालिया जाति राय सिंह (23) निवासी सिवानी पुलिस जिला जिला भिवानी हरियाणा तथा रवि कुमार उर्फ विकास जाति बंजारा (21) निवासी सिवानी हरियाणा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी आजाद सिंह पुलिस थाना सिवानी हरियाणा एच एस हार्डकोर अपराधी है। जिसके खिलाफ पूर्व में डकैती हत्या मारपीट फिरौती चोरी। आर्म्स एक्ट आदि के कुल 21 मामले दर्ज हैं। उक्त आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक चूरू की ओर से दो हजार का इनाम भी घोषित किया है तथा सिवानी थाने का टॉप टेन अपराधी है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ कर जाच शुरू की गई है। मामले में थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई सहित ए.एस.आई. गोरुराम, कॉस्टेबल प्रमोद कुमार, कपिल कुमार, महेंद्र कुमार, रमाकांत साइबर सेल चूरू तथा एच.सी.सज्जन कुमार ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई।

पौधारोपण के लिए सहयोग राशि दी

सुजानगढ़, (निसं)। जी.एच.एस. राजकीय महाविद्यालय में एक एक पेड मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। प्राचार्य विनीता चौधरी ने बताया कि चितौडगढ जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धोरडिया में कार्यरत सुजानगढ निवासी पूजा कंवर ने अपनी पुत्री प्रांजलिराज सिंह के साथ एक पेड मां के नाम अभियान के तहत महाविद्यालय में पौद्यारोपण किया। इस दौरान पूजा कंवर ने समय-समय पर महाविद्यालय में लगाये गये पौधों की सार-संभाल के लिए उपस्थित होने का आश्वासन दिया। प्राचार्य विनीता चौधरी ने बताया कि अध्यापिका पूजा कंवर ने द्वारा पौद्यारोपण के लिए दिये गये पांच हजार रूपये से पौद्यों की खरीद कर महाविद्यालय में लगाया जायेगा। प्राचार्य ने पौद्यारोपण के लिए राशि देने के लिए पूजा कंवर का आभार जताया।

पीड़ितों की सहायता की मांग

चूरू,(कासं)। चूरू जिला मुख्यालय पर एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर चूरू को ज्ञापन प्रेषित चूरू में अतिवृष्टि के कारण शहर के निचले वार्ड संख्या 55, 56, 57, 58 व 8 सहित अन्य वार्डों में मकान गिर चुके हैं और अधिकांश मकानों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी है जो कि वर्तमान ामय में रहने की स्थिति में नहीं है। इस प्राकृतिक आपदा से इन वार्डों निवास करने वाले लोगों को काफी आर्थिक क्षति हुई है। ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन चूरू को चेतावनी भी दी गई के शीघ्र ही क्षतिग्रास्त मकानों का मौका मुआयना नहीं करवाकर पीड़ितों को अगर सहायता राशि नहीं प्रदान की जाती है तो सभी पीड़ितों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट चूरू के आगे अनिश्चितकालीन समय के लिए धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 64/2024

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री मुकेश कुमार धनकड़ पुत्र श्री राजवीर धनकड, सी-246 वसंत विहार झुंझुनू ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास नेशन फर्स्ट बाय रघुवीर फाउण्डेशन ग्राम अलीपुर, बगड चिड़ावा, जिला झुंझुनू के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 08.10.2024

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय-विरेन्द्र सिंह एडवोकेट, राजगढ जिला चूरू (राजस्थान)
मो.नं. 9636759272

क्रमांक- दिनांक-05.08.2024

नोटिस सर्वसाधारण आम वो खास (बेदखली)

मै अपने मुवक्किल ओमप्रकाश पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राजस्थान) की हिदायतानुसार सर्वसाधारण आम वो खास को निम्न कानूनी नोटिस से सूचित कर रहा हूँ कि :- यह कि मेरे मुवक्किल का पुत्र विकास कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू व मेरे मुवक्किल की पुत्रवधू पूजा मेरे मुवक्किल ओमप्रकाश के कहने सुनने में नही है तथा मेरे मुवक्किल द्वारा उक्त दोनों को समझाने पर भी विकास कुमार व पुत्रवधू पूजा पर कोई असर नहीं होता है तथा न ही उक्त दोनों मेरे मुवक्किल का कहना मानते है, इस कारण मेरा मुवक्किल अपने पुत्र विकास कुमार व पुत्रवधू पूजा से अपने समस्त प्रकार के संबंध विच्छेद करते हुए अपने पुत्र विकास कुमार व पुत्रवधू पूजा को अपनी चल व अचल सम्पति से बेदखल करता है। आज के बाद से मेरे मुवक्किल का अपने पुत्र विकास कुमार व पुत्रवधू पूजा से कोई संबंध नही है तथा विकास कुमार व पुत्रवधू पूजा का भी मेरे मुवक्किल की समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं है। मेरीं मृत्यु के बाद मेरी चल व अचल सम्पत्ति की हकदार मेरी पुत्रियां सुमन, सरोज व सुनिता होगी।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल के पुत्र विकास कुमार व पुत्रवधू पूजा जाति मेघवाल निवासीगण सरदारपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू व पुत्रवधु पूजा किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय, अर्द्ध निकाय से मेरे मुवक्किल का नाम लेकर कोई लेन देन का या अन्य संव्यवहार करते हैं तो इसमें मेरे मुवक्किल व मेरे मुवक्किल के परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा मेरे मुवक्किल के पुत्र विकास कुमार व पुत्रवधू पूजा से कोई व्यक्ति किसी प्रकार का संव्यवहार करता है तो वह उसकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी। सूचित रहे।

विरेन्द्र सिंह एडवोकेट, न्यू कोर्ट परिसर राजगढ तहसील, राजगढ जिला चूरू (राजस्थान)
मो.नं. 9636759272

आई हॉस्पिटल में लगा कचरे का ढेर

राजकीय बच्छावत नेत्र अस्पताल में कचरे के ढेर लगे हैं।

चूरू, (कासं.)। यदि आप राजकीय बच्छावत नेत्र अस्पताल में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने जा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए क्योंकि यह अस्पताल खुद संक्रमित है। यह वाकिया सोमवार को अस्पताल परिसर में देखने को मिला।

गौरतलब है कि जिला मुख्यालय स्थित नेत्र अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से खुले में पड़ा बायो मेडिकल वेस्ट संक्रमण को निमंत्रण दे रहा है। सूत्रों ने बताया कि पिछले तीन महीनों से पड़ा यह बायोमेडिकल वेस्ट और अन्य कचरे का ढ़ेर अस्पताल में आने वाले मरीजों व परिजनों के जी का जंजाल बना हुआ है। फिर भी अस्पताल प्रशासन इसको लेकर आंखें मूंद कर बैठा है। और सफाई दे रहे हैं कि यह साधारण कचरा ही है, बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है। मरीजों ने बताया कि पिछले तीन महीनों से अस्पताल में गंदगी के यही हालात है और यदि यही स्थिति रही तो यह खतरे से खाली नहीं होगा। मरीजों ने बताया यहां ठीक होने की बजाय संक्रमित होने को मजबूर है। नेत्र अस्पताल प्रभारी डॉ. जितेन्द्र सोलंकी ने बताया कि अस्पताल में मौजूद कचरा बायो मेडिकल वेस्ट नहीं है। यह साधारण कचरा ही है, जिसको हटाने के लिए सफाई ठेकेदार को कई बार पाबंद किया जा चुका है। ठेकेदार के अनुसार पहले यह निस्तारण गाजसर गिनाणी में किया जाता था। अब ठामीणों के विरोध के बाद से नगर परिषद् द्वारा सफाई ठेकेदारों के लिए नई जगह चिन्हित नहीं की गई है।

सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

पाटन, (निसं)। नवसृजित जिला नीम का थाना में पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुओं की विशिष्ठ पशुचिकित्सा सुविधाओं के लिए जिला अस्पताल की तर्ज पर जिला पशु अस्पताल अर्थात वेटरनरी पॉलीक्लिनिक की स्थापना आवश्यक है। वेटरनरी पॉलीक्लिनिक (बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय) की स्थापना की मांग को लेकर जन प्रतिनिधियों ने भी अनेकों बार विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की है। वेटरनरी पॉलीक्लॉनिक की स्थापना के लिए बनी संघर्ष समिति ने कलेक्टर शरद मेहरा से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर ने पूरा समय दिया और इस बारे में तथ्यपरक बिंदूवार जानकारी प्राप्त की।संघर्ष समिति अध्यक्ष डॉ रणजीत मेहरानियां ने बताया कि सीकर और झुंझुनूं में वेटरनरी पॉलीक्लिनिक स्थित है परंतु नव सृजित जिला नीम का थाना के दूरस्थ गावों की दूरी वहां से 125 किमी से भी ज्यादा हो जाने से समय अधिक लगता है। संघर्ष समिति उपाध्यक्ष डॉ आर ए बायला ने बताया कि वेटरनरी पॉलीक्लिनिक की स्थापना होने से मेडिसिन, सर्जरी और पशु मादा रोग विशेषज्ञ की सेवाएं मिलने से अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने लगेंगी।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय न्यायालय डेट रिलिफ कोर्ट सिविल न्यायाधीश (व.ख.) झुंझुनू
वादी संजीव राहड़ विरूद्ध दीपक करोल
आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान कृषि ऋण मुक्ति अधिनियम 1957 (दरख्वास्त ऋण निश्य करण)
सिविल वाद संख्या 04 सन् 2018

प्रेषित-
दीपक करोल पुत्र स्व. रामेश्वरलाल, निवासी महरमपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू हाल निवासी सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेज, मूर्ति सर्किल, विज्ञान पार्क के सामने, व्यास कॉलोनी, जिला बीकानेर (राज.)

वादी संजीव राहड ने आपके विरूद्ध आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान कृषि ऋण मुक्ति अधिनियम 1957 (दरख्वास्त ऋण निश्चय करण) वाद के लिए संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 08.08.2024 को दिन के 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो न हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 09 माह 07 सन् 24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

शरिश्तेदार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

शिव का दुग्धाभिषेक किया

झुंझुनूं, (निसं)। मंड्रेला रोड बिड़दीचंदजी के कुएं पर स्थित प्राचीन शिवालय में शिव भक्तों ने दुग्धाभिषेक व गन्ने के रस से अभिषेक किया। इस दौरान राजकुमार तुलस्यान, नारायण प्रसाद जालान, शिवचरण हलवाई, अशोक तुलस्यान, अनिल केजड़ीवाल सपत्निक व भाजपा नेता महेश बसावतिया ने इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। यह आयोजन विद्वान संजू पंडित व जितेंद्र शर्मा के सानिध्य में संपन्न कराया गया। विदित हो शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं।

वाटर कूलर का लोकार्पण किया

चूरू, (कासं.)। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा मंगलवार को यहां धर्मस्तूप पुलिस चौकी में आयोजित कार्यक्रम में एसपी के तौर पर चूरू में अपने पहले कार्यकाल की यादों को ताजा करते हुए भावुक नजर आए। उस जमाने के अपने सहयोगियों, परिचितों से पूर्व डीजीपी ने बड़ी ही आत्मीयता और स्नेह के साथ मुलाकात की और अपने संस्मरण साझा किए। अवसर था भामाशाह राजेंद्र सोनी द्वारा अपनी धर्मपत्नी स्व. रंजना देवी सोनी की स्मृति में स्थापित वाटर कूलर के लोकार्पण का। पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा, जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी, एसपी जय यादव, श्योपुरा धाम के हरिचरण पुजारी, एडीएम उत्तम सिंह शेखावत ने वाटर कूलर का लोकार्पण किया। पूर्व डीजीपी मिश्रा ने कहा कि जब मैं चूरू एसपी था, तब एकदम जवान था। जवान एसपी का जनता के लिए काम करने का एक अलग ही जज्बा होता है। मुझे यहां की जनता का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने राजेंद्र सोनी और सोनी परिवार की सराहना करते हुए कहा कि चूरू अंचल में परोपकार के लिए अपने खून-पसीने की कमाई लगाने की एक जोरदार परम्परा रही है। राजेंद्र सोनी ने उसी परम्परा का निर्वहन किया है जो अत्यंत सराहनीय एवं पुण्य का कार्य है। उन्होंने स्व. जसकरण सोनी को याद करते हुए सोनी परिवार के फोटोग्राफी और पत्राकारिता में योगदान की सराहना की। जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी ने वाटर कूलर के लिए दानदाता राजेंद्र सोनी की सराहना करते हुए कहा कि हम सभी को अपनी क्षमता के अनुसार समाज को वापस लौटाने का काम करना चाहिए। उन्होंने उमेश मिश्रा के प्रति लोगों की आत्मीयता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि निस्संदेह इन्होंने जिले में बेहतर कार्य किया है, यही कारण है लोगों के दिलों पर आज कई दशक बीत जाने पर भी इसकी छाप है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण की नीलामी सह आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कर्ज लेनदारों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से उनके द्वारा स्वर्ण आभूषणों के बदले ली गयी ऋण सुविधा में बकाया राशि का भुगतान करने के नोटिस जारी किये गये है। क्योंकि कर्ज लेनदार जो इस सुविधा के तहत बकाया का भुगतान नहीं कर पाये हैं, हम 13.08.2024 को बंधक रखे गये स्वर्ण आभूषणों की नीलामी कराने के लिये विवश है। यदि इस नीलामी से कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, तो वह संबंधित कर्ज लेनदार को लौटा दी जायेगी तथा यदि नीलामी से प्राप्ति के बाद कमी रही, तो बाकी राशि कर्ज लेनदार से उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वसूली जायेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास निम्न खातों की, बिना पूर्व सूचना के, नीलामी से हटाने का अधिकार है। साथ ही आईडीएफसी बैंक, बिना पूर्व सूचना के, नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शाखा का नाम
105720209	उपदेश कुमार	सिंघाना ग्रामीण

नीलामी 13/08/2024 को दिन में 12.00 बजे से दोपहर 3.00 तक https://egold.auctiontiger.net के द्वारा आन लाइन आयोजित की जायेगी। इस प्रकाशन के द्वारा संबंधित कर्ज लेनदारों को एतद द्वारा अंतिम नोटिस तथा सुविधा संबंधित राशि को सभी ब्याज तथा चार्जेज के साथ, नीलामी तिथि से पहले जमा कराने का आखिरी अवसर दिया जा रहा है, यदि वे ऐसा करने में विफल रहे तो, आभूषण नीलाम किये जायेंगे। कृपया ध्यान दें, यदि नीलामी, समय सीमा के कारण, पूरी नहीं हो पाती है तो, बैंक बंधक रखे स्वर्ण आभूषणों को इन्हीं नियमों व शर्तों पर, अगले 7 दिन में, पुनः नीलामी करेगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो चुकी हो, तो नीलामी संबंधित सभी शर्तें उनके कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होगी।

दिनांक - 06.08.2024, स्थान - सिंघाना ग्रामीण

डॉ. संजय धनखड़ को फांसी की सजा देने की मांग

झुंझुनूं, (निसं)। झुंझुनूं में चर्चित किडनी कांड एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल किडनी कांड से प्रभावित महिला ईद बानो की जान चली गई है। करीब ढ ाई महीने तक जिंदगी से जंग लड़ने वाली ईद बानो आखिरकार यह जंग हार गई और इस दुनिया से रूखस्त हो गई है। इस मामले को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन भी शुरू हो गए है। ईद बानो की मौत के बाद उनके परिवार, गांव के लोगों और सामाजिक संगठनों में भी काफी गुस्सा है।

- किडनी कांड को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

फांसी देने की मांग पर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया।

परिवार को एक करोड़ रूपए की सहायता, डॉ. संजय धनखड़ को फांसी की सजा देने, डॉ. संजय धनखड़ के खिलाफ मामला फास्ट ट्रेक में चलाने, मृतका के पति को संविदा पर नौकरी देने, डॉ. संजय धनखड़ की संपत्तियों को कुर्क करने और उन पर बुलडोजर चलाने जैसी मांग की गई जा रही है। सोमवार को विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं कहा है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी ना तो वे धरने से उठेंगे और ना ही परिवार के लोग जयपुर में शव को लेंगे। जिसके बाद प्रशासन व पुलिस के सामने बड़ी चुनौती हो गई है। इधर, मामले को लेकर एसपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी डॉक्टर संजय धनखड़ को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका है। लेकिन अब महिला की मौत के बाद गैर इरादतन हत्या की धाराओं को जोड़ने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि डॉ. धनखड़ फिलहाल जेल में है और राजस्थान मेडिकल कौंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा चुका है। ताकि वे आगे प्रेक्टिस ना कर पाए। इधर, धरने को पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपना समर्थन देते हुए पीड़ित परिवार को एक लाख रूपए की सहायता देने की घोषणा की है।

कार्यालय ग्राम पंचायत लूंछ, पंचायत समिति रतनग

क्रमांक-44-48 दिनांक-05.08.2024

खुली प्रतियोगी बोली

नीचे अंकित अवधि के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र लूंछ में साफ सफाई कार्य हेतु इस कार्य हेतु रजिस्टर्ड अनुभवी ठेकेदार फर्मो एवं एन.जी.ओ. से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	सफाई कार्य का विवरण	अनुमानित ठेका राशि	अमानत राशि रूपये	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम पंचायत लूंछ में घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य प्रतिदिन करना सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई का कार्य प्रतिदिन करना तथा सडक/लेन सफाई एवं नाली सफाई का कार्य सप्ताह में एक बार करने का कार्य करना	5,00,000/- (एक वर्ष)	अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत	12.08.2024 दोपहर 3.00 बजे	12.08.2024 को 4.00 पीएम व इसके बाद

नोट- निविदा प्रपत्र दिनांक 05.08.2024 से दिनांक 12.08.2024 को सुबह 11 बजे तक निविदा शुल्क रू. 500/- जमा करवाकर ग्राम पंचायत लूंछ से प्राप्त कर सकते है।

सफाई ठेका की विस्तृत शर्ते एवं कार्य विवरण, निविदा प्रपत्र, ग्राम पंचायत लूंछ में कार्यालय समय में आकर देख सकते है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, लूंछ
पंचायत समिति, रतनगढ (चूरू)

सरपंच
ग्राम पंचायत लूंछ
पंचायत समिति, रतनगढ (चूरू)